न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, डीडवाना–कुचामन

पीठासीन अधिकारी– श्री बाल मुकुन्द असावा, आई.ए.एस.

अपील संख्या– 04 / 2024
जी.सी.एम.एस. पोर्टल नम्बर 2024 / 18

अपीलान्ट	बनाम	रेस्पोडेन्ट
रामेश्वर पुत्र शिवकरण जाति रेगर निवासी कंवलाद तहसील परबतसर जिला डीडवाना–कुचामन।		1. राजस्थान–सरकार जरिये नायब तहसीलदार बडू तहसील परबतसर 2. पटवारी हल्का नैणियां तहसील परबतसर

उपस्थितः–

1. श्री गजराज चौहान वकील अपीलान्ट की ओर से।

अपील अन्तर्गत धारा 75 भू–राजस्व अधिनियम 1956 अधिनियम के तहत विरूद्ध राजस्व प्रकरण संख्या 48 / 2023 सरकार बनाम रामेश्वर में निर्णय दिनांक 28.11.2023 को न्यायालय नायब तहसीलदार बडू ने पारित किया।

–ःनिर्णयः–

दिनांकः 04.06.2024

अपीलांट की ओर से पेश अपील के तथ्य संक्षेप्त में इस प्रकार है किः–

1. अपीलान्ट ने किसी प्रकार का अतिक्रमण नही किया है अपीलान्ट वर्षो से मकानात में रहवास करता आ रहा है। अपीलान्ट गरीब व अनुसूचित जाति का व्यक्ति है जिसके और कोई मकानात नहीं है। अपीलान्ट का बड़ा परिवार है। अपीलान्ट को उक्त निर्णय की जानकारी अभी नकल लेने पर हुई अपीलान्ट को धारा 91 का अन्य नोटिस भी बेदखली बाबत् नहीं दिया तथा दिनांक 28.02.2024 को अपीलान्ट के मकान को तोड़कर अपीलान्ट को बेदखल कर दिया जायेगा।
2. उक्त आदेश में ग्राम पंचायत नैणिया को पक्षकार नहीं बनाया गया है क्योकि उक्त जमीन बाबत् नोटिस दिया गया है, उक्त जमीन बाबत् ग्राम पंचायत खातेदार हैं। उक्त निर्णय भी विधिनुसार नहीं है क्योंकि ग्राम पंचायत के क्षैत्राधिकार का हनन हुआ है। ग्राम पंचायत को प्रकरण में पक्षकार बनाया जाना आवश्यक था। ग्राम पंचायत को सुने बिना उक्त आदेश शुन्यहीन व अप्रभावी है जिसे अपास्त किया जाना चाहिये था, तथा ग्राम पंचायत को सुनवाई का अवसर दिया जाना चाहिये था।
3. अपीलान्ट को आज दिन तक ग्राम पंचायत की ओर से किसी प्रकार का नोटिस नही दिया गया है न ही अपीलान्ट के विरूद्ध कोई कार्यवाही चली। रेस्पोडेन्ट द्वारा कार्यवाही राजनैतिक दबाव में व विधि विरूद्ध जाकर की गई है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bal Mukund Asawa
Date: 2024.06.07 11:11:31 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
डीडवाना–कुचामन

जिला कलक्टर डीडवाना–कुचामन

अतः अपील पेशकर निवेदन है कि अपीलान्ट की अपील स्वीकार की जाकर निर्णय दिनांक 28.11.2023 को अपास्त किया जावें।

अधिवक्ता अपीलान्ट की बहस सुनी गई। अधिवक्ता अपीलान्ट ने अपनी बहस में अपील में किये गये तथ्यों को दोहराया तथा निम्न न्यायिक दृष्टांत पेश किये:–

1. RRD 2002 पेज 60
2. RLW 2008(1) RJ 670 (H.C.)
3. RRD2003 पेज 66
4. RRD 2009 पेज 444
5. RRD 2009 पेज 341 (H.C.)
6. RLW 2006 (1) पेज 158 (H.C.)
7. RRD 2002 पेज 340
8. RRJ 2003 (2)पेज 1303
9. RRD 2002 पेज 583
10. RRD 2004 पेज 19

पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज का अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया एवं अपीलान्ट की बहस पर मनन किया। अपीलाधीन आदेश न्यायालय नायब तहसीलदार बडू द्वारा 91 भू–राजस्व अधिनियम के तहत चारागाह भूमि पर अतिक्रमण मानते हुए बेदखली के आदेश जारी किये गये।

अधिवक्ता अपीलान्ट का यह कथन है कि प्रश्नगत भूमि राजस्व रेकर्ड में वर्तमान में चारागाह दर्ज है। अपीलान्ट अधिवक्ता का यह भी कथन है कि उक्त जमीन में ग्राम पंचायत खातेदार है। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विचार ही नहीं किया गया। अधिवक्ता अपीलान्ट का यह भी कथन है कि प्रश्नगत भूमि पर अपीलान्ट अतिक्रमी की नियत से नहीं है बल्कि नियमन के अधिकारी है।

पत्रावली पर उपलब्ध रिकोर्ड एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली से अपीलाधीन आदेश खसरा सं0 129 पर किस्म चारागाह के बाबत जारी किया गया। राजस्व रेकर्ड व वर्तमान जमाबन्दी संवत 2076–79 में चारागाह के रूप में दर्ज है।

इन समस्त तथ्यों से स्पष्ट है कि उक्त भूमि शुरू से ही चारागाह के रूप में दर्ज रही है। राज0 काश्तकारी अधिनियम की धारा 16 के तहत चारागाह भूमि प्रतिबंधित श्रेणी की भूमि में आती है। चारागाह भूमि राजकीय भूमि है। भू–धारक तहसीलदार है।

धारा 91 राज0 काश्तकारी अधिनियम, 1955 नियम 66 के तहत Explanation में अंकित है कि Explanation.—For the purpose of this sub-section, "Land" means land as defined in the Rajasthan Tenancy Act, 1955 (Act no. 3 of 1955), राज0 टेनेन्सी एक्ट

Signature Not Verified
Digitally signed by Bal Mukund Asawa
Date: 2024.06.07 11:11:31 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
डीडवाना–कुचामन

सेक्शन 3 सब सेक्शन 28 के अनुसार "Pasture land" shell mean land used for the grazing of thecattle of a village or villages or recorded in settlement records as such at the commencement of this Act or thereafter reserved as such in accordance with rules framed by the state government.

अतः इसके अनुसार चारागाह भूमि की स्थिति में तहसीलदार को कार्यवाही करने का पूर्ण अधिकार है। चारागाह भूमि राजकीय सार्वजनिक भुमि है न कि पंचायत की भूमि है न ही पंचायत को पक्षकार बनाना आवश्यक है।

अधिवक्ता अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतों पर मनन किया। उपरोक्त समस्त न्यायिक दृष्टांत उक्त अपील पर लागु नहीं होते है।

उपरोक्त समस्त तथ्यों से यह स्पष्ट है कि आराजी नं0 129 चारागाह भूमि है। अपीलान्ट उस पर अवैध अतिक्रमी के रूप में काबिज है। चारागाह भूमि धारा 16 राज0 टेनेन्सी एक्ट के तहत प्रतिबंधित भूमि है। चारागाह भूमि पर अतिक्रमण की स्वकृति/अनुमति प्रदान नहीं की जा सकती। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थी को सुनवाई का अवसर देकर नियमानुसार प्रक्रिया की पालना करते हुए अपीलाधीन आदेश जारी किया गया है, जिस पर किसी प्रकार का हस्तक्षेप करने का कोई विधिक कारण नहीं है। अतः अपील अलान्ट खारीज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय को बहाल रखा जाता है।

निर्णय सरे इजलास आज दिनांक 04.06.2024 को सुनाया गया।

जिला कलक्टर
डीडवाना–कुचामन

(बाल मुकुन्द असावा, IAS)
जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
डीडवाना–कुचामन

Signature Not Verified

Digitally signed by Bal Mukund Asawa
Date: 2024.06.07 11:11:31 IST
Reason: SelfAttested